9. विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण।

10. अनु० जनजाति लड़कियों के लिए निम्न साक्षरता पाकेटों में शैक्षणिक परिसर।

3. विकलांग कल्याण

सहायक यंत्रों एवं उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए विकलांग व्यक्तियों की सहायता की योजना।

4. समाज रक्षा

(क) किशोर सामाजिक कुसमंजन निवारण एवं नियंत्रण।

(ख) बेसहारा बच्चों का कल्याण।

(ग) वयोवृद्धों से सम्बंधित स्वैच्छिक संगठनों को सहायता।

(घ) मधनिषेध एवं नशीली दवाओं के दुरूपयोग की रोकथाम (चेतना सृजनों और निवारक शिक्षा, नशीली दवा के बारे में चेतना सृजन परामर्श और सहायता केन्द्र निव्यसन सह-पुनर्वास केन्द्र निव्यसन शिविर इत्यादि)।

(ङ) समाज रक्षा सेवाओं के क्षेत्र में स्वैच्छिक संगठन को सहायता।

(च) शिशुओं एवं अन्तः देशीय दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देने हेतु गृहों (शिशु गृह)

5. अल्पसंख्यक कल्याण—

आर्थिक मानदंड पर आधारित कमजोर वर्गों के लिए परीक्षा पूर्व कोचिंग।

Commission for Handicapped Persons

5788. SHRI AJIT P.K. JOGI: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government propose to constitute a permanent commission for improving the educational, social and economic conditions of handicapped persons in the country and monitoring the implementation of welfare schemes formulated for them;

(b) whether Government have received representations regarding the constitution of a commission from some of the organisations connected with handicapped persons; and

(c) if so, what decision has been taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI SITARAM KESRI); (a) No, Sir.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम

5789. श्री सत्य प्रकाश मालवीयः
श्री अनन्तराम जायसवालः

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम को अपनी योजना के क्रियान्वयन के लिए वर्ष 1994-95 के दौरान कितनी धन राशि उपलब्ध कराने की योजना थी और निगम को वस्तुतः कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई;

(ख) क्या निगम के आवेदकों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए कोई मान दंड निर्धारित किए हैं, यदि हां, तो उक्त मानदंड क्या हैं;

(ग) वर्ष 1994-95 में निर्धारित मानदंड के अनुसार ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों की कुल संख्या क्या थी कितने आवेदकों को ऋण स्वीकृत किया गया और कितने आवेदकों को किस आधार पर ऋण अस्वीकृत किया गया;

(घ) वर्ष 1995-96 के लिए निगम ने क्या कार्यक्रम बनाया है और इसके लिए कितनी धन राशि की मांग की है एवं सरकार ने निगम को कितनी धनराशि उपलब्ध कराई है; और

(ङ) क्या सरकार ने पिछले दो वर्षों में निगम के कार्यकलापों की समीक्षा की है तथा सरकार से प्राप्त धन राशि का लेखा जोखा किया है, यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है, यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी): (क) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम के लिए वर्ष 1994-95 का 40 करोड़ रु० का आरम्भिक बजट प्रावधान किया गया था। इस निगम को 1994-95 के दौरान 23.77 करोड़ रु० और उपलब्ध कराकर कुल 63.77 करोड़ रु० की राशि प्रदान की गई। इस निगम से इस संबंध में कोई औपचारिक अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ।